मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 (19 अग्रहायण, शक सम्वत् 1936)
विधान सभा पूर्वाह्न 10 : 33 बजे समवेत हुई.
अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 12 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एवं 12 पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 93 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 116 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य ने इंदौर उज्जैन संभाग के महाविद्यालयों द्वारा छात्रों को काशन मनी की राशि न लोटाई जाने,
(2) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य ने श्योपुर जिले में खराब विद्युत मीटर न बदले जाने,
(3) श्री मुकेश नायक, सदस्य ने धार एवं झाबुआ जिले के अनेक ग्रामों में स्वच्छ पेयजल का प्रदाय न होने,
(4) श्री सुखेन्द्र सिंह बन्ना, सदस्य ने रीवा जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग सात फोरलेन हेतु अधिगृहित भूमि का मुआवजा न दिये जाने,
(5) श्री प्रताप सिंह, सदस्य ने दमोह जिले के तेंदूखेड़ा व्हाया झालोन रहली सड़क मार्ग की हालत जर्जर होने,
(6) श्री हर्ष यादव, सदस्य ने सागर जिले में बिजली की अघोषित कटौती होने,
संबंधी द्वारा नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) सुश्री कुसुम सिंह महदेले, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री ने संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का 32 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2012-13 पटल पर रखे.

(2) श्री लालसिंह आर्य, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने –

(क) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 19 के अंतर्गत 20 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013, तथा
(ख) मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का वार्षिक लेखा 2012-2013

पटल पर रखे.

4. ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री उमंग सिंघार तथा हेमन्त विजय खण्डेलवाल, सदस्यगण ने प्रदेश में प्री-फेब्रिकेटेड पंचायत भवन के निर्माण में अनियमितता होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना पर में शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.)

(2) श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य ने सतना के न्यू अर्जुन नगर निवासी एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री बाबूलाल गौर, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

5. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री केदारनाथ शुक्ल, सभापति ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का चौंतीसवां से सैंतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों की याचिकायें प्रस्तुत हुई मानी गई :-

(1) श्री नीटू सत्यपाल सिंह सिकरवार (जिला-मुरैना)
(2) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)

सभापति महोदय (श्री केदारनाथ शुक्ल) पीठासीन हुए.

7. वर्ष 2014-15 की प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि परम्परानुसार, अनुपूरक मांगों की चर्चा में सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाकर उन पर एक साथ चर्चा होती है, अत: वित्त मंत्री द्वारा सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाएं, तदनुसार, श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि –

"दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 72, 73, 74, 76, 77 एवं 78 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर आठ हजार नौ करोड़, सड़सठ हजार रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय."

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री रामनिवास रावत
(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया

(अपराह्न 1.00 से 2.35 बजे तक अन्तराल)
उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(3) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(4) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय
(5) श्री मुकेश नायक

(6) श्री दुर्गालाल विजय
(7) श्री कमलेश्वर पटेल
(8) श्री दिनेश राय
(9) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया
(10) श्री शैलेन्द्र जैन
(11) श्री जितू पटवारी
(12) श्रीमती झूमा सोलंकी

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(13) श्री हरदीप सिंह डंग
(14) श्री सुखेन्द्र सिंह बन्ना
(15) डॉ. रामकिशोर दोगने
(16) श्री सोहनलाल बाल्मीक

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

8. अध्यक्षीय घोषणा
सदन के समय में वृद्धि विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यसूची में उल्लेखित पद 7 के उप पद (11) तक के कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि संबंधी घोषणा की गई.

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-7) विधेयक, 2014 (क्रमांक 26 सन् 2014) पुर:स्थापित किया तथा प्रस्ताव किया की इस विधेयक पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

श्री जयंत मलैया ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-7) विधेयक, 2014 (क्रमांक 26 सन् 2014) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(2) श्री अंतर सिंह आर्य, श्रम मंत्री ने मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 24 सन् 2014) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(3) श्री अंतर सिंह आर्य, श्रम मंत्री ने मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक, 2014 (क्रमांक 25 सन् 2014) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(4) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 27 सन् 2014) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(5) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 28 सन् 2014) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(6) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 29 सन् 2014) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(7) श्री भूपेन्द्र सिंह, परिवहन मंत्री ने मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 30 सन् 2014) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(8) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 31 सन् 2014) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(9) श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2014 (क्रमांक 21 सन् 2014) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री रामनिवास रावत
(2) श्री मुकेश नायक

श्री उमाशंकर गुप्ता ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

श्री उमाशंकर गुप्ता ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2014 (क्रमांक 21 सन् 2014) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(10) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 22 सन् 2014) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री रामनिवास रावत

श्री जयंत मलैया ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

श्री जयंत मलैया ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 22 सन् 2014) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(11) श्री अंतर सिंह आर्य, श्रम मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 23 सन् 2014) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री रामनिवास रावत
(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(3) श्री दुर्गालाल विजय

श्री अंतर सिंह आर्य ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

श्री अंतर सिंह आर्य ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 23 सन् 2014) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

अपराह्न 5.33 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 11 दिसम्बर, 2014 (20 अग्रहायण, शक सम्वत् 1936) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भगवानदेव ईसरानी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 10 दिसम्बर, 2014